भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 731
सोमवार, 12 दिसम्बर, 2022/21 अग्रहायण, 1944 (शक)

सीएमआईई रिपोर्ट

731. **श्री पी.पी. चौधरीः**
श्री दीपक बैजः
श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी:
डॉ. रमापति राम त्रिपाठीः
श्री बृजभूषण शरण सिंहः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि जून 2022 की सीएमआईई की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान, उत्तर प्रदेश और ओडिशा में देश में सबसे अधिक बेरोजगारी दर 22.2 प्रतिशत के खतरनाक स्तर पर है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार के पास विशेषरूप से राजस्थान, उत्तर प्रदेश और ओडिशा में बेरोजगारी दर से निपटने के लिए कोई मौजूदा योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या इससे निपटने के लिए सरकार कोई योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सीएमआईई के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार अक्तूबर, 2022 में बेरोजगारी दर बढ़कर 7.77 प्रतिशत हो गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) जिन राज्यों में बेरोजगारी दर अक्तूबर, 2022 के दौरान 10 प्रतिशत से अधिक हो गई है, उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) देश में जुलाई, 2022 से अब तक बेरोजगारी की दर का माह-वार ब्यौरा और राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (च): कई निजी कंपनियां/निकाय/अनुसंधान संगठन अपनी कार्यप्रणाली के आधार पर अलग-अलग सर्वेक्षण करते हैं, सीएमआईई उनमें से एक है। रोजगार और बेरोजगारी पर आधिकारिक डेटा स्रोत आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) है जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से करवाया जा रहा है। पीएलएफएस की सर्वेक्षण अवधि जुलाई से अगले वर्ष जून तक होती है। अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए पीएलएफएस आंकड़े वार्षिक आधार पर उपलब्ध है।

उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2020-21 के दौरान सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) 4.2% थी।

वर्ष 2020-21 के दौरान सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) **अनुबंध** में दी गई है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। इस पैकेज में, देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), नए रोजगार का सृजन करने हेतु रोजगार देने वालों को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हुई हानि के प्रतिस्थापन हेतु दिनांक 01 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की थी। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31.03.2022 थी। इस योजना के आरंभ से, दिनांक 28.11.2022 तक, इस योजना के तहत 60.13 लाख लाभार्थियों को 7855.07 करोड़ रुपए का लाभ प्रदान किया गया है। दिनांक 28.11.2022 तक, इस योजना के तहत राजस्थान में 3.25 लाख लाभार्थियों को 437.29 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश में 4.3 लाख लाभार्थियों को 661.29 करोड़ रुपए और ओडिशा में 89.02 हजार लाभार्थियों को 148.05 करोड़ रुपए का लाभ प्रदान किया गया है।

सरकार दिनांक 01 जून, 2020 से प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वानिधि योजना) का कार्यान्वयन कर रही है ताकि कोविड -19 महामारी के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए स्ट्रीट वेंडरों को उनके व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए जमानत मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा मिल सके। दिनांक 02.12.2022 तक, इस योजना के तहत 4,378 करोड़ रुपए की राशि के 37.68 लाख ऋण वितरित किए जा चुके हैं। दिनांक 02.12.2022 तक, इस योजना के तहत लगभग राजस्थान में 71.27 हजार ऋण, उत्तर प्रदेश में 9.95 लाख ऋण एवं ओडिशा में 41.89 हजार ऋण वितरित किए जा चुके हैं।

भारत सरकार, पर्याप्त निवेश और सार्वजनिक व्यय वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और जिसमें रोजगार सृजन हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), और दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) आदि जैसी योजनाएं शामिल हैं।

स्व-रोजगार को सरल बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की गई थी। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा इसमें और विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का जमानत मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत दिनांक 25.11.2022 तक 15.56 लाख करोड़ रुपए की राशि के 37.76 करोड़ ऋण संवितरित किए गए। वर्ष 2022-23 के दौरान, राजस्थान में स्वीकृत 13.57 लाख ऋण खातों में 11,179.52 करोड़ रुपये की राशि का वितरण किया गया, उत्तर प्रदेश में स्वीकृत 33.84 लाख ऋण खातों में 22,821.21 करोड़ रुपये की राशि एवं दिनांक 25.11.2022 तक इस योजना के तहत ओडिशा में स्वीकृत 17.38 लाख ऋण खातों में 9,057.45 करोड़ रुपये वितरित किए गए।

वर्ष 2021-22 से शुरू होकर 5 वर्ष की अवधि के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से उत्पादन-संबंद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं शुरू की गई हैं। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही पीएलआई योजनाओं में 60 लाख नए रोजगार सृजित होने की संभावना है। इन सभी प्रयासों के गुणक-प्रभावों के माध्यम से, सामूहिक रूप से रोजगार का सृजन करने तथा मध्यम से लंबी अवधि में उत्पादन को बढ़ावा मिलने की आशा है।

पीएम गतिशक्ति, आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी एपरोच है। यह एपरोच सात घटकों नामतः सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और लाजिस्टिक बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित हैं। यह एपरोच, स्वच्छ ऊर्जा और सबके प्रयास द्वारा संचालित है जिससे सभी के लिए रोजगार और उद्यमशीलता के अत्यधिक अवसर पैदा होंगें।

इन प्रयासों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, सब के लिए आवास जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशीप कार्यक्रम भी रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए ही है।

*****

अनुबंध

लोक सभा के दिनांक 12.12.2022 के अतारांकित प्रश्न संख्या 731 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

सामान्य स्थिति के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की बेरोजगारी दर (यूआर) का राज्य/संघ राज्य-वार ब्यौरा

क.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बेरोजगारी दर (% में)
1	आंध्र प्रदेश	4.1
2	अरुणाचल प्रदेश	5.7
3	असम	4.1
4	बिहार	4.6
5	छत्तीसगढ	2.5
6	दिल्ली	6.3
7	गोवा	10.5
8	गुजरात	2.2
9	हरियाणा	6.3
10	हिमाचल प्रदेश	3.3
11	झारखंड	3.1
12	कर्नाटक	2.7
13	केरल	10.1
14	मध्य प्रदेश	1.9
15	महाराष्ट्र	3.7
16	मणिपुर	5.6
17	मेघालय	1.7
18	मिजोरम	3.5
19	नागालैंड	19.2
20	ओडिशा	5.3
21	पंजाब	6.2
22	राजस्थान	4.7
23	सिक्किम	1.1
24	तमिलनाडु	5.2
25	तेलंगाना	4.9
26	त्रिपुरा	3.2
27	उत्तराखंड	6.9
28	उत्तर प्रदेश	4.2
29	पश्चिम बंगाल	3.5
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	9.1
31	चंडीगढ़	7.1
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	4.2
33	जम्मू और कश्मीर	5.9
34	लद्दाख	2.9
35	लक्षद्वीप	13.4
36	पुड्डुचेरी	6.7
	अखिल भारत	**4.2**

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई